"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2012—ज्येष्ठ 25, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री एम. के. राउत, भा.प्र.से. (1984), कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि तथा सहकारिता विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग एवं संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा, रेशम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री शिरीष चंद्र अग्रवाल, भा.व.से. मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर की सेवायें वन विभाग से लेते हुए ग्रामोद्योग विभाग को प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2012

क्रमांक 1796/1058/2012/एक/2.—यत: श्री एलेक्स व्ही. एफ. पॉल मेनन व्ही., भा.प्र.से., कलेक्टर, जिला सुकमा का दिनांक 21-04-2012 को ग्राम सुराज अभियान के दौरान आयोजित जन सभा से माओवादियों द्वारा अपहरण किया गया था. माओवादियों द्वारा श्री मेनन को दिनांक 03-05-2012 को अपहरण से मुक्त किया गया.

2. चूंकि श्री मेनन का अपहरण शासकीय कार्य निर्वहन करने के दौरान हुआ था. अत: राज्य शासन, श्री मेनन के दिनांक 21-04-2012 से 03-05-2012 तक की अवधि को असामान्य परिस्थितियों में अनुपस्थिति अवधि को शासकीय सेवा में व्यतीत की गई अवधि मान्य करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2012

क्रमांक 3975/डी-1439/21-ब/छ.ग./2012.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित प्रविष्टियों के संबंध में और संशोधन कर, निम्न आदेश जारी करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं के अनुसूची में, कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित स्थानों पर, विशेष न्यायाधीश पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :—

स. क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	जिले का नाम (3)
1.	श्री संतोष शर्मा, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर	जगदलपुर
2.	श्री मनसूर अहमद, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर	बिलासपुर
[illegible].	श्री अरविंद सिंह चंदेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)
4	श्रीमती धनेश्वरी सिदार, [illegible] एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव	राजनांदगांव

F. No. 3975/D-1439/XXI-B/C.G./2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following order, further to

amend this department's previous notifications, relating to the entries mentioned in column No. (2), namely :—

AMENDMENT

In the schedule of the said notifications, officers mentioned in column (2) are posted as Special Judge, at the places mentioned in column (3) of the said schedule, namely :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Officer (2)	Name of the District (3)
1.	Shri Santosh Sharma, I Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur.	Jagdalpur
2.	Shri Mansoor Ahmed, IInd Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.	Bilaspur
3.	Shri Arvind Singh Chandel, District & Sessions Judge, Kabirdham (Kawardha).	Kabirdham (Kawardha)
4.	Smt. Dhaneshwari Sidar, I Additional District & Sessions Judge, Rajnandgaon.	Rajnandgaon

रायपुर, दिनांक 15 मई 2012

क्रमांक 3989/1053/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारी श्री निको दियस एक्का जिनकी जन्म तिथि 01-07-1952 है, को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 30-06-2012 से, सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2012

क्रमांक 4024/1395/21-ब/छ.ग./2012.—इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3411/853/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 23-04-2012 तथा संशोधित आदेश क्रमांक 3456/853/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 25-04-2012 में टंकित नाम श्री गीतेश कुमार कौशिक के स्थान पर "श्री गितेश कुमार कौशिक" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2012

क्रमांक 4396/1326/21-ब/2012.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (क्र. 15 सन् 1872) की धारा-6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलीजन) पास्टर रेव्ह. एस. आर. ताण्डी, दुर्ग क्रिश्चियन चर्च, आदर्श नगर, दुर्ग को छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में :—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने; और
2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करता है.

No. 4396/1326/21-B/2012.—In exercise of the powers conferred by section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872), the State Government is pleased to grant license to (Minister of Religion)

Paster Rev. S. R. Tandi, Durg Christian Church, Adarsh Nagar Durg, for District Durg of State of Chhattisgarh :—

1. to Solemnize Marriage; and
2. to grant Certificate of marriages solemnised between the Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2012

क्रमांक 3785/1321/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए श्री अशोक कुमार मिश्रा, अधिवक्ता/नोटरी बचेली, दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) का नाम, नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 4-11/2012/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

(i) योजना का नाम "असंगठित कर्मकार सायकल रिक्शा सहायता योजना 2012" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत मंडल द्वारा प्रदेश के सायकल रिक्शा चलाने वाले पंजीकृत असंगठित कर्मकार को सायकल रिक्शा/हाईटेक सायकल रिक्शा हेतु स्वयं के द्वारा 25 प्रतिशत अंशदान करने पर 75 प्रतिशत अथवा रु. 5000/- वास्तविक लागत का जो भी कम हो की सहायता प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) योजना हेतु पात्रता :—

(i) असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक.

(ii) पंजीकृत कर्मकार की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह की हो.

(iii) योजना का लाभ एक बार प्राप्त होगा.

(iv) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

(ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्या ा में जमा किया जावेगा.

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त ३. त्रा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा.

(ई) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़,असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 4-11/2012/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना 2012" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत सायकल प्रदेश के पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) यह योजना असंगठित कर्मकार जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, को स्वयं के लिए निवास से कार्यस्थल पर जाने आने के लिये प्रदाय किया जावेगा.

(ii) पंजीकृत कर्मकार की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु समूह की हो.

(iii) मंडल द्वारा लागू सिलाई मशीन सहायता योजना या शासन के किसी योजनांतर्गत सिलाई मशीन हेतु लाभ न लिया हो.

(iv) जो कर्मकार सायकल सहायता योजना अंतर्गत लाभ लेगा वह सिलाई मशीन सहायता योजना अंतर्गत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे.

(v) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतरण किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

(ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त 1 अन्य अधिकारी की समिति को होगा.

(ई) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

रायपुर, दिनांक 9 मई 2012

संशोधन

क्रमांक एफ 4-11/2012/16.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-04-2012 द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा 4 अंतर्गत असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना 2012 जारी की गई है. उक्त अधिसूचना की कंडिका (अ) के बिन्दु क्रमांक (ii) एवं कंडिका (द) के बिन्दु क्रमांक (ii) में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

(अ) (ii) पंजीकृत असंगठित कर्मकार जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होने पर इलाज हेतु रुपये "50,000/- की चिकित्सा सहायता प्रदान की जायेगी" के स्थान पर रुपये "50,000/- तक की चिकित्सा सहायता प्रदान की जायेगी" पढ़ा जाय.

(द) (ii) स्वीकृत किये गये राशि "संबंधित हिंतग्राही को एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा" के स्थान पर "संबंधित अस्पताल को एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा" पढ़ा जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2012

क्रमांक 2641/तक.-पंजी/परि./2012.—छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59 सन् 1988) की धारा 65, 111 एवं धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्रमुख सचिव, (परिवहन), छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. 384, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय से प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 184 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"184-क. राज्य में विक्रय के लिये मोटर यान के नये मेक एवं मॉडल का अनुमोदन—

(1) निर्माता द्वारा प्रस्तुत मोटर यान के नये मेक एवं मॉडल को विनियमित करने हेतु और इस तरह के मोटर यान के निर्माता एवं व्यवसायी के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने हेतु राज्य में ऐसे नये वाहनों के विक्रय के संबंध में, ऐसे निर्माता और/अथवा व्यवसायी के लिए यह आवश्यक होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे मोटर यानों के विक्रय से पूर्व वाहन के प्रत्येक मेक एवं मॉडल के लिये अनुमति प्राप्त करे.

(2) ऐसा निर्माता एवं व्यवसायी परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ को सादे कागज पर अनुमति हेतु प्रत्येक मेक एवं मॉडल के लिए अलग-अलग आवेदन निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हुए प्रस्तुत करेगा :—

(एक) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में उल्लिखित एजेंसी से प्राप्त अनुमोदन के साथ प्रश्नाधीन मोटरयान का अनुमोदित प्रोटोटाईप.

(दो) ऐसे वाहन के तीन भिन्न दिशाओं से खींचे गये कलर फोटोग्राफ की प्रति एवं उसके प्रकाशित लीफलेट.

(तीन) प्रश्नाधीन वाहनों के मेक एवं मॉडल के विक्रय के संबंध में, छत्तीसगढ़ राज्य में निर्माता द्वारा नियुक्त व्यवसायियों की सूची.

(चार) निर्माता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आवेदन को हस्ताक्षरित किया जायेगा.

(पांच) परिवहन आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी.

(छः) आवेदक द्वारा संबंधित प्रकार के वाहन के लिए ऐसे आवेदन हेतु निम्नलिखित फीस का भुगतान किया जाएगा :—

(क)	मोपेड एवं मोटरयुक्त साईकिल (50 सीसी से अनधिक इंजन क्षमता)	—	रु. 500.00
(ख)	मोपेड एवं मोटरयुक्त साईकिल से भिन्न मोटर-साईकिल	—	रु. 1,000.00
(ग)	तिपहिया वाहन	—	रु. 1,500.00

(घ)	हल्का मोटर यान जिसमें चेसिस सम्मिलित है	—	रु. 2,000.00
(ङ)	मध्यम मोटर यान जिसमें चेसिस सम्मिलित है	—	रु. 2,500.00
(च)	भारी मोटर यान जिसमें चेसिस सम्मिलित है	—	रु. 3,000.00
(छ)	ट्रेक्टर	—	रु. 1,000.00
(ज)	कोई अन्य प्रकार का मोटर यान जो ऊपर उल्लिखित नहीं है	—	रु. 1,000.00

(3) परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ स्वयं की सन्तुष्टि करने के पश्चात्, आवश्यक शर्तें अधिरोपित करते हुए राज्य में ऐसे मेक एवं मॉडल के वाहन को पंजीयन की अनुमति प्रदान करेंगे, एवं राज्य के समस्त पंजीयन प्राधिकारियों को सूचित करेंगे.

(4) ऐसी अनुमति प्राप्त करने वाला निर्माता भी राज्य के पंजीयन अधिकारियों को ऐसी अनुमति की प्रति, स्वयं अथवा मोटर यान के व्यवसायी के माध्यम से प्रस्तुत करेगा.

क्रमांक 2641/तक.-पंजी/परि./2012.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 65, 111 and Section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours, by the office of the Principal Secretary, (Transport), Government of Chhattisgarh, Room No. 384, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

After Rule 184, the following shall be inserted, namely :—

"184-A. Approval of new make and model of motor vehicle for sale in the State—

(1) To regulate the new make and model of motor vehicles introduced by the manufacturer and thereby to control the activities of the manufacturer and dealers in motor vehicles regarding sale of such new vehicles in the State, it is necessary for such manufacturer and/or dealers to obtain permission for every make and model of vehicle before the sale of such motor vehicles in the State of Chhattisgarh.

(2) Such manufacturer and dealers shall apply for each make and model separately for permission on plain paper to the Transport Commissioner, Chhattisgarh complying the following conditions :—

(i) Approvals obtained from the agency mentioned in rule 126 of the Central Motor Vehicle Rules 1989 alongwith approved prototype of motor vehicle in question.

(ii) Copy of colour photographs of such vehicle from three different directions and leaflet published thereof.

(iii) List of dealers appointed by the manufacturer in the State of Chhattisgarh regarding the sale of make or model of vehiches in question.

(iv) Application shall be signed by the manufacturer or authorized representative.

(v) Any other information as required by the Transport Commissioner from time to time.

(vi) Following fee for such application shall be paid for the respective type of vehicle by the applicant :—

(a)	Mopeds and Motorized cycles (engine capacity not exceeding 50 cc)	—	Rs. 500.00
(b)	Motor-Cycle other than mopeds and motorized cycles.	—	Rs. 1,000.00
(c)	Three wheelers vehicles	—	Rs. 1,500.00
(d)	Light motor vehicle including chassis	—	Rs. 2,000.00
(e)	Medium motor vehicle including chassis	—	Rs. 2,500.00
(f)	Heavy motor vehicle including chassis	—	Rs. 3,000.00
(g)	Tractor	—	Rs. 1,000.00
(h)	Any other type of motor vehicle not mentioned above.	—	Rs. 1,000.00

(3) Transport Commissioner, Chhattisgarh after being satisfied, grant permission imposing necessary condition thereof to register the vehicle of such make and model in the State, and inform all Registering Authorities of the State.

(4) Manufacturer receiving such permission shall also submit copy of such permission to the Registering Authorities of the State, himself or through the dealer of motor vehicles.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. तोमर, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित कोरबा के बॉयलर क्रमांक M.P./3530 को दिनांक 04-12-2011 से 04-06-2012 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से कार्योत्तर छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 1 मार्च 2012

क्रमांक 1776 क/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	घुमा	0.26	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी संभाग, धमतरी.	सिर्री, दर्रा, खर्रा, पटेवा मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/1130/अ.भू.-अ.प्र./04/अ-82/बोरई/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	बोरई प.ह.नं. 03	0.02	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	भेण्डरवानी जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 21 मई 2012

क्रमांक/1134/अ.भू.-अ.प्र./05/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	लिटिया प.ह.नं. 17	2.98	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	लिटिया जलाशय हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 16 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	गम्हरिया प. ह. नं. 27	0.668	कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल संभाग, रायगढ़.	अटल विहार योजना के अंतर्गत आवासीय भवन के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2012

प्र.क्र. 6-अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	कसडोल	सोनाखान प. ह. नं. 33	2.023	कार्यपालन अभियंता, जोक नहर निर्माण संभाग, कसडोल.	मखुरहा जलाशय के डुबान क्षेत्र हेतु.

बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2012

प्र.क्र. 5-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	कसडोल	मोहतरा प. ह. नं. 20	3.166	कार्यपालन अभियंता, जोक नहर निर्माण संभाग, कसडोल.	जोक मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2012

प्र.क्र. 6-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	भिनोदा प. ह. नं. 16	1.232	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	रायकोना जलाशय नहर निर्माण कार्य के लिए.

बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2012

प्र.क्र. 7-अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	गगोरी प. ह. नं. 21	2.060	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	रायकोना जलाशय नहर निर्माण कार्य के लिए.

बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2012

प्र.क्र. 8 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	गेड़ापाली प. ह. नं. 21	14.662	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	ठाकुरदिया जलाशय के डूब में आने के कारण.

बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2012

प्र.क्र. 9 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	झुमका प. ह. नं. 21	0.915	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	चारभाठा जलाशय के स्लिप एवं नहर निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2012

प्र.क्र. 10 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	रायकोना प. ह. नं. 24	0.300	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	रायकोना जलाशय के डूब में आने के कारण.

बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2012

प्र.क्र. 11 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	भटगांव प. ह. नं. 15	0.048	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	ठाकुरदिया जलाशय के शाखा नहर निर्माण हेतु.

बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2012

प्र.क्र. 12 अ/82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	साल्हेवना प. ह. नं. 18	1.060	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	चारभाठा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 अप्रैल 2012

क्रमांक 1059/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	ठठारी प.ह.नं. 02	0.061	कार्यपालन अभियन्ता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	ठठारी-बरभांठा मार्ग पर सोननदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेशचंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 8 मई 2012

क्रमांक 301/भू-अर्जन/अ.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-कोसमर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.80 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	476/1	0.04
	476/4	0.29
	501	0.01
	502	0.02
	503	0.03
	504	0.06
	509/1	0.04
	509/2	0.03
	509/6	0.02
	509/5	0.03
	511	0.10
	512	0.06
	513	0.12
	557/4	0.13
	559	0.12
	560	0.12
	561	0.11
	566	0.20
	567	0.07
	568	0.20
योग	20	1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-कोसमर्रा से लोहारपथरा मार्ग का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्रमांक 10/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-करगीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
859/3	0.42
864/2	0.50
858	0.22
848/1	0.52
847/1	0.25

(1)	(2)
829/1	0.38
847/2	0.27
829/2	0.73
841/2	0.85
839/2	0.30
837	0.16
827	0.18
823/2	0.04
823/1	0.54
717/2	0.07
824	0.46
756	0.16
681	0.66
718/1	0.06
719/1	0.40
719/2	0.26
720/1	0.01
671/1	0.18
671/3	0.01
671/2	0.03
667/1	0.23
670	0.20
667/4	0.01
667/2	0.02
668	0.29
664/1	0.39
664/2	0.13
650/3	0.08
649	0.04
648	0.01
650/3	0.04
719/3	0.20
667/6	0.01
667/7	0.01
650/4	0.01
841/4	0.07
योग 41	9.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्रा मरवाही मनेन्द्रगढ़ मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2012

क्रमांक 11/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.02 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
797/3	0.27
797/2	0.03
798	0.97
791	0.74
792/1	0.24
792/2	0.14
792/4	0.09
783/1	0.48
734/1, 735	0.32
734/2	0.17
733	0.40
732	0.24
730/1	0.05
731	0.42
718/4	0.01
719	0.44
727	0.01
योग 18	5.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्रा मरवाही मनेन्द्रगढ़ मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 30 मई 2012

क्रमांक 24/अ.वि.अ./भू-अर्जन/01 अ/82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-महासमुंद
- (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.22 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	54/1	0.08
	56	0.01
	57	0.05
	62	0.02
	213	0.02
	151/3	0.04
योग	6	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अमलीडीह तमोरा मार्ग पर पुलिया निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 9 मई 2012

क्रमांक 280/प्र.क्र. 5/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-करमतरा, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	175, 175, 175	0.12
योग		0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झिपनिया जलाशय मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रुति सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 10 मई 2012

क्रमांक/983/अ.भू-अ.प्र./05/अ-82/वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-जंजगिरी, प. ह. नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	898/2	0.18
योग		0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जंजगिरी डायवर्सन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 फरवरी 2012

क्रमांक 37.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	831/3	0.016
योग	1	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्री माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2012

[illegible] उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-भैयाथान
- (ग) नगर/ग्राम-तेलगांव, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 आरे

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (आरे में) (2)
	800	0.08
योग	1	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एस.ई.सी.एल. भटगांव क्षेत्र से कोल परिवहन के लिये रेल्वे साइडिंग हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

[illegible]

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील- तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-बेमता, प.ह.नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	150/1	0.081
योग		0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-भूमिया वितरक के नहर के भूमिया टेल माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन अभियता, म.ज.प. डिसनेट संभाग क्रमांक-3, तिल्दा, जिला-रायपुर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रा[illegible] दि[illegible] 2012

भू-अर्जन [illegible] 2011 12.— चूंकि राज्य [illegible] को इस [illegible] कि नीचे दी गई अनुसूची [illegible] पद (1) में [illegible] पद (2) में उल्लेखित [illegible] प्रयोजन के [illegible] अत: भू-अर्जन अधिनियम, [illegible] (क्रमांक 1 सन् 1894) [illegible] भू-अर्जन अधिनियम, 1984 [illegible] धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तरकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.015 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
152/1	0.016
152/2	0.081
433/2ख	0.134
700/5	0.121
433/4	0.069
684/3	0.032
699/1ग	0.024
433/2क	0.041
160/2क	0.020
703/8	0.320
703/9	0.020
433/1	0.040
717/4	0.016
433/3	0.081
योग 14	1.015

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुख्य नहर निर्माण में पूरक भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कोलम
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-49.588 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9	1.975
53/8	1.149
3/29	0.405
10/9	0.950
8/8	0.148
62	0.500
3/12	1.214
3/20/2	0.937
3/34	0.809
6/3	0.337
3/7	2.428
3/24	1.214
7	1.196
15	0.882
3/5	1.216
53/9	0.500
4	0.898
10/11	0.126
47/22	0.061
3/2	2.428
3/13	2.428
3/20/3	0.538
3/35	0.809
12	0.316
3/9	0.809
3/28	0.809

	(1)	(2)
	8/1	1.190
	47/10	1.535
	47/5	0.928
	47/17	0.729
	8/4	0.25
	61/1	0.344
	3/3	2.428
	3/14	1.619
	3/20/4	0.480
	6/1	0.337
	13	0.388
	3/15	1.214
	3/30	1.619
	8/3	0.226
	3/11	0.405
		1.319
	61/3	0.194
	5	0.809
	8/6	0.186
	61/2	0.264
	3/10	1.214
	3/20/1	0.433
	3/32	0.405
	6/2	0.338
	3/4	1.505
	3/16	2.428
	3/31	0.809
	11	0.910
योग	53	49.588

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-चिर्रामुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.332 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	192/2	0.097
	187/1	2.885
		1.000
	185/6	0.850
	194/6	0.073
	185/7	0.500
		0.500
	194/2	0.073
	185/2	0.561
	191/2	2.488
	194/5	0.109
	194/1	0.470
	192/3	0.182
	194/3	0.109
	187/3	0.243
	192/1	1.987
	185/5	0.202
	194/4	0.106
	187/2	0.607
	180/2	0.283
	180/3	0.454
	180/5	0.437
	180/1	0.141
	180/4	0.304
	181/2	2.426
		0.245
	181/4	1.000
योग	24	18.332

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.